न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बड़गूजर (RAS)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
63/2020	20.10.2020	14.06.2023

//उनवान//

1 महेशचन्द्र पुत्र इन्दरमल
2 संजय पुत्र सत्यप्रकाश जातियान भड़ाजन निवासीयान जिन्दोली तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– वादीगण

बनाम

1 लैण्ड होल्डर जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, अलवर।

प्रतिवादी

दावा– ईश्तकरारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 15 ककक
(2) व (3) राज0 काश्तकारी अधि0।

उपस्थितिः– श्री जगन्नाथ यादव – वकील वादीगण

निर्णय दिनांक– 14.06.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि आराजी खसरा नम्बर है0 137/0.87, 141/0.53, 142/0.29, 153/0.47 है0 सालिम व ख0नं0 155/0.10, 156/0.08, 157/0.25, 158/0.13 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम कादरनगर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त विवादित आराजी राज0 काश्त0 अधि0 सन् 1955 के लागू होने के पूर्व से ही हम वादीगण के पिता/दादा इन्दरमल को पट्टे पर दी गई थी तब से आज तक लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है एवं राज0 काश्त0 अधि0 1955 एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 सन् 1959 के प्रावधानों के अनुसार वादीगण स्वत् ही खातेदार हो गए परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर खातेदारी का अंकन गलत दर्ज कर दिया जिसे दूरूस्त कराकर खातेदार घोषित कर दर्ज कराने के वादीगण अधिकारी है उक्त विवादित आराजी राज0 काश्त0 अधि0 के प्रावधान 15 एएए के अनुसार भी खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। विवादित आराजी साबिक ख0नं0 83 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 86 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा व 87 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जिसके क्रमशः हाल ख0नं0 137 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 141 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 142 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व 153 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा पैमूद किए जो खातेदारी की आराजी थी कस्टोडियन नहीं थी व उस समय हम वादीगण के दादा काबिजकाश्त थे जो स्वतः कानूनन खातेदार हो गए इसलिए खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है एवं ख0नं0 155/0.10, 156/0.08, 157/0.25, 158/0.13 है0 आराजी भी कब्जेकाश्त की आराजी है जिस पर काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के लागू होने के पूर्व से ही काबिजकाश्त है इसलिए कानूनन खातेदार हो गए फिर भी विकल्प में यदि भूमि कस्टोडियन मानी जावे तो 1/2 भाग की

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

कीमत जमा कराकर वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार दर्ज किया जावे आदि–आदि का अंकन करते हुए वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक इस अमर की फरमाई जावे कि विवादित आराजी ख0नं0 137/0.87, 141/0.53, 142/0.29, 153/0.47 है0 सालिम व ख0नं0 155/0.10, 156/0.08, 157/0.25, 158/0.13 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम कादरनगर तह0 मुण्डावर जिला अलवर में वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाकर कागजात माल में अमल दरामद किया जावे के आदेश फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद विधिवत तलबी प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत आकर जवाब पैरोकार पेश किया। मुताबिक जवाब पैरा सं0 1 राजस्व रिकॉर्ड स्तर तक स्वीकार है शेष वादी स्वयं सिद्ध करे, पैरा सं0 2 ल0 5 वादी स्वयं सिद्ध करे और अगर भूमि कस्टोडियन है तो नियमानुसार कीमत जमा करवाई जावे, पैरा सं0 6 वादी स्वयं सिद्ध करे, पैरा सं0 7 ल0 10 कानूनन, कोर्ट फीस से संबंधित, श्रवण योग्य, क्षेत्राधिकार से संबंधित है अंकित होकर शामिल पत्रावली है एवं तहसीलदार मुण्डावर से मौका रिपोर्ट चाही जाने पर जरिये पत्रांक 1 दिनांक 27.04.2023 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। मुताबिक प्राप्त मौका रिपोर्ट हाल खसरा नम्बरान 215/0.87, 220/0.53, 221/0.29, 235/0.47, 238/0.10, 239/0.08,, 240/0.25, 241/0.13 वाके ग्राम कादरनगर का मौका देखा गया। हाल जमाबंदी सम्वत् 2078 के अनुसार हाल ख0नं0 215, 220, 221, 235 के अनुसार महेश पुत्र इन्दरमल 1/2 व संजय कुमार पुत्र सत्यप्रकाश 1/2 महाजन साकिन जिंदोली गैर खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है एवं हाल ख0नं0 238, 239, 240, 241 महेश चन्द पुत्र इन्दरमल 1/4, संजय कुमार गुप्ता पुत्र सत्यप्रकाश 1/4 निर्मल पुत्र रघुवीरदयाल 1/8, किरण पुत्री रघुवीरदयाल 1/8, बिना पुत्री रघुवीरदयाल 1/8, चंचल पुत्री रघुवीरदयाल 1/8 महाजन साकिन जिंदोली गैर खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है मौके पर ख0नं0 215, 220, 221, 235 पर वर्तमान में रिकॉर्ड में दर्ज गैर खातेदार महेश पुत्र इन्दरमल व संजय कुमार पुत्र सत्यप्रकाश कब्जेकाश्त है वर्तमान में असरू पुत्र प्रताप मेव निवासी खुशालबास को बटाई पर दे रखा है इसके अलावा ख0नं0 238, 239, 240, 241 पर वर्तमान में महेश पुत्र इन्दरमल व संजय कुमार पुत्र सत्यप्रकाश व निर्मल, किरण वगैरह हिस्से के अनुसार कब्जेकाश्त है।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1– आया विवादित आराजीयात वाके ग्राम कादरनगर के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण को गैर खातेदार गलत दर्ज किया है जबकि वादीगण राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 से पूर्व से आराजी पर काबिजकाश्त होने के कारण कानूनन धारा 15 एएए(2) के तहत खातेदार हो गए। वर्तमान में गैर खातेदार के बजाय रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज किया जावे। – जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 2– आया वादीगण का वाद काबिल खारीज है। – जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नं0 3– अन्य दादरसी।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 किता–2 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 किता–2 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2012 किता–2 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2016 प्रदर्श–5, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 से 2020 किता–2 प्रदर्श–6 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र संजय पीडब्ल्यू–1 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि आराजी खसरा नम्बर है0 137/0.87, 141/0.53, 142/0.29, 153/0.47 है0 सालिम व ख0नं0 155/0.10, 156/0.08, 157/0.25, 158/0.13 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम कादरनगर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में स्थित होकर वादित में विवादित आराजी है तथा उक्त ख0नं0 137, 141, 142, 153 की आराजी राज0 काश्त0 अधि0 सन् 1955 के लागू होने के पूर्व से ही हम वादीगण के पिता/दादा इन्दरमल को पट्टे पर दी

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

गई थी तब से आज तक लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है एवं राज0 काश्त0 अधि0 1955 एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 सन् 1959 के प्रावधानों के अनुसार वादीगण स्वत् ही खातेदार हो गए परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर खातेदारी का अंकन गलत दर्ज कर दिया एवं ख0नं0 155, 156, 157, 158 वाके ग्राम कादरनगर का 1/2 भाग पर भी कब्जेकाश्त की आराजी रही है तथा काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के लागू होने के पूर्व से ही काबिजकाश्त है जिस पर काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के लागू होने के पूर्व से ही काबिजकाश्त है इसलिए कानूनन खातेदार हो गए फिर भी विकल्प में यदि भूमि कस्टोडियन मानी जावे तो 1/2 भाग की कीमत जमा कराकर वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार दर्ज किया जावे का अभिकथन करते हुए वादपत्र की ताईद में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 किता–2 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 किता–2 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2012 किता–2 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2016 प्रदर्श–5, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 से 2020 किता–2 प्रदर्श–6 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र संजय पीडब्ल्यू–1 पेश किया एवं प्रदर्श–3 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 अनुसार साविक खसरा नम्बरान से पैमूद हुए हाल खसरा नम्बरान साबित कर दिए हैं तथा मुताबिक प्रदर्श–4, 5, 6 द्वारा भी वादीगण ने सिद्ध कर दिया है जिसके मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2012 के कॉलम नं0 5 में जुम्मा, मम्मन, इमाम खां, सम्मन, यासीन खां साकिनदेह खातेदार के अंकन के साथ–साथ बकाश्त इन्दरमल पुत्र कन्हैयालाल वैश्य साकिन जिंदोली पट्टेदार का आ0ख0नं0 83, 86, 87 के बाबत अंकन है एवं प्रदर्श–2 के मुताबिक कॉलम नं0 5 पर इन्दरमल, रघुवरदयाल पि0, कन्हैयालाल कोम महाजन संभाग साकिन जिंदौली गैर खातेदार ख0नं0 155, 156, 157, 158 के बाबत का अंकन है एवं तहसीलदार मुण्डावर से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर जरिये पत्रांक 01 दिनांक 27.04.2023 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली मौका रिपोर्टानुसार भी हाल ख0नं0 215/0.87, 220/0.53, 221/0.29, 235/0.47 हाल जमाबंदी सम्वत् 2078 अनुसार महेश पुत्र इन्दरमल 1/2 एवं सजंय कुमार पुत्र सत्यप्रकाश 1/2 साकिनदेह गैर खातेदार एवं हाल ख0नं0 238, 239, 240, 241 के बावत महेश चन्द पुत्र इन्दरमल 1/4, सजंय कुमार पुत्र सत्यप्रकाश, निर्मल पुत्र रघुवीरदयाल 1/8, किरण, बिना, चंचल पुत्रीयान रघुवीरदयाल 3/8 महाजन साकिनदेह जिंदोली गैर खातेदार रिकॉर्ड में दर्ज है तथा उक्तानुसार ही कब्जेकाश्त है का अभिकथन करते हुए वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिए जाने की स्थिति में वादीगण के वाद को डिक्री किए जाने का निवेदन रहा।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार रहा–

तनकी नं0 1– आया विवादित आराजीयात वाके ग्राम कादरनगर के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण को गैर खातेदार गलत दर्ज किया है जबकि वादीगण राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 से पूर्व से आराजी पर काबिजकाश्त होने के कारण कानूनन धारा 15 एएए(2) के तहत खातेदार हो गए। वर्तमान में गैर खातेदार के बजाय रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज किया जावे। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है और वादीगण ने अपने वादपत्र को उपरोक्तानुसार प्रदर्श–1 ल0 6 के सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिए जाने की स्थिति में इस तनकी को यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादी पाते हुए बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी नं0 2– आया वादीगण का वाद काबिल खारीज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादी रहा है और जब तनकी सं0 1 बरखिलाफ प्रतिवादी पाई जाकर बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाई जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादी पाते हुए बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी नं0 3– अन्य दादरसी – उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है लेकिन उपरोक्त विवादित आराजीयात वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

में कस्टोडियन का अंकन किए जाने एवं दस्तावेजात तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 14.03.2012 जिसके मुताबिक वादीगण गैर खातेदार दर्ज है मौके पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त है तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं है, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है, आराजी कस्टोडियन है के अंकन के आधार पर कस्टोडियन आराजी रही है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे अंकन के समय में राशी जमा कर खातेदारी दिए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए है। भारत सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्ति दावा व अन्य अधिनियम निरसन अधिनियम 2005 को दिनांक 06.09.2005 को अधिसूचित कर विस्थापित व्यक्ति/निष्क्रांत संपत्ति संबंधी 5 अधिनियमों क्रमशः the displaced persons (claims)act 1950, the administration of evacuee property act 1950, the evacuee intrest (sepration) act 1951, the displaced persons (claims) supplimentry act 1955, the displaced persons (compensation and rebabilitation) act 1954, को निरसित (Repeal) कर दिए जाने के पश्चात् राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र 06.10.2009 द्वारा निष्क्रांत कृषि भूमि के आवंटन/नियमन के संबंध में दिशा–निर्देशा प्रसारित किए गए। इस प्रकार राजस्थान भू0 राजस्व (निष्क्रांत भूमि आवंटन) नियम 1963 के नियम 5ए में विभागीय अधिसूचना दिनांक 01.12.2011 द्वारा संसोधन किया गया। निष्क्रांत संपत्ति पर काबिज आवंटियों के अतिरिक्त सभी प्रकार के गैरखातेदार, पट्टेदार, मौरूसी, गैर मौरूसी एवं गैर मुमकिन काश्तकारो को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए दिनांक 30.03.2012 को विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किए गए तथा अधिसूचना दिनांक 03.10.2013 द्वारा संशोधन कर निष्क्रांत भूमि पर उक्त कृषकों के रूप में दर्ज नाम के काश्तकार को कब्जा नियमन का प्रावधान किया गया जिसके मुताबिक नियम 5 के नियमितिकरण एवं पुनर्विधिमान्यकरण के निबंधन एवं शर्ते–(1) इन नियमों के नियम 5 के खण्ड(5), (6) एवं (7) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए जहां किसी आवंटी ने इन नियमों के अधीन उसे आवंटित की गई भूमि को इन नियमों के उपबंधों के उल्लघंन में, अंतरित कर दिया हो, वहा सलाहकार समिति से परामर्श कर परगना अधिकारी (सब डिवीजनल ऑफीसर) (आवंटी या अन्तरिती से आवेदन प्रापत करने पर, आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 1 माह के भीतर और राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 (3 आफ 1955) की धारा 42 के उपबंधों के अध्यधीन ऐसी जांच जो वह उचित समझता हो, करने के बाद अन्तरिती द्वारा राज्य सरकार को सभी बकायों के भुगतान करने की शर्त के अध्यधीन तथा सिंचित व असिंचित भूमि के लिए रुपये 2000/ और रुपये 1000/ प्रति बीघा की दर से शास्ति के भुगतान पर) ऐसे अन्तरण को विधिमान्य (वैध) कर सकेगा। इस प्रकार समय–समय पर जारी कस्टोडियन भूमि के संबंध में परिपत्रों पर गौर किया गया जिससे भी वादी का वाद खातेदारी अधिकारी के रूप में सुसंगत दस्तावेजात प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में बखूबी साबित है। अतः वादी के लिए उपयुक्त होगा कि इस आधार पर उपरोक्तानुसार देय राशीया भी जमा करावे, जिससे कि राजस्व का भी कोई नुकसान नहीं हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा वाद को महत्वपूर्ण एवं सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य साबित कर दिए जाने की स्थिति में न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किए जाने योग्य पाता है। विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि रही है जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दर से रकम वसूली योग्य है। परिणामतः वादीगण द्वारा वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष को प्रापत करने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

आदेश

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में साबिक ख0नं0 137/0.87, 141/0.53, 142/0.29, 153/0.47 है0 सालिम व

155/0.10, 156/0.08, 157/0.25, 158/0.13 है0 का 1/2 भाग जिनके हाल आराजी ख0नं0 215/0.87, 220/0.53, 221/0.29, 235/0.47 है0 संपूर्ण एवं हाल ख0नं0 238/0.10, 239/0.08, 240/0.25, 241/0.13 है0 वाके ग्राम कादरनगर तहसील मुण्डावर, अलवर के 1/2 भाग बाबत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादीगण के नाम का गैर खातेदार के बाबत के हो रहे अंकन को हजफ करने के आदेश दिए जाते हैं एव उपरोक्त आराजीयात के बाबत वादीगण को उक्तानुसार खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि विवादित आराजीयात कस्टोडियन आराजी होने की स्थिति में (BIDA/UIT) क्षेत्र से मुक्त मानते हुए उपरोक्त वर्णितानुसार देय कस्टोडियन शुल्क वादीगण तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर में जमा करावे जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर राशि की गणना कराई जाकर वादीगण से नियमानुसार देय राशी वसूल कर जमा राजकोष कराए जाने उपरांत ही उक्तानुसार वादीगण के नाम खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **14.06.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

14-6-2023

(पंकज बड़गूजर)
न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0)
मुण्डावर अलवर, राज0